कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कॉलोनी, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :-

अम्बिकापुर, दिनांक / 18 / 8 /2021

क्रमांक / तक.अधि. / 1851

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
लोक निर्माण विभाग, अम्बिकापुर

विषय :- सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर जिले के सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर वन मण्डल में आवेदनकर्ता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43) अम्बिकापुर से पत्थलगांव मार्ग तक पेव्हड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण हेतु 31.104 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव बावत्।
प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/ROAD/12117/2015

संदर्भ :-
1. छ.ग. शासन वन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ / 5–40 / 2017 / 10–2 दिनांक 06.12.2017
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / 1641 दिनांक 22.07.2017

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सरगुजा, सूरजपुर एवं जशपुर जिले के वनमण्डल में आवेदनकर्ता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, रायपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–78 (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43) अम्बिकापुर से पत्थलगांव मार्ग तक पेव्हड शोल्डर सहित 2 लेन चौड़ीकरण हेतु 31.104 हे. वन भूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा प्रकरण अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 की प्रचलित दर से अन्तर की राशि जमा करने बावत् निर्देशित किया गया है।

कैम्पा खाता में जमा राशि एवं शेष अन्तर की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	रकबा (हे.में)	वर्ष 2017–18 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दर	राशि	वर्ष 2021–22 में पुनरीक्षित क्षतिपूर्ति की दर	राशि	अन्तर की राशि
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य	62.208	600222.00	37338610.00	798897.00	49697785.00	12359175.00

Nhdp(AE) 20/8/2021

अतः आप प्रकरण अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण की शेष राशि रूपये 12359175.00 (एक करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार एक सौ पचहत्तर मात्र) कैम्पा खाते में ई–चालान जनरेट कर मूल पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

पृ.क्र. / तक.अधि. / 1852

अम्बिकापुर, दिनांक / 18 / 8 /2021

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ.ग., अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

E:\DM\FCA Proposal\NH Ambikapur To Pathalgaon\MEMO 06-07-2020.doc